

## उत्तराखण्ड शासन

### श्रम अनुभाग

संख्या: — /VIII/18-150(श्रम)/2001

देहरादून, दिनांक: 19 जनवरी, 2018

### अधिसूचना

राज्यपाल, संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37 वर्ष 1970) की धारा 4 सपठित उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 2003 के नियम 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या: 1759/VIII/16-150(श्रम)/2001, दि. 21.01.2016 का अतिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड श्रम सलाहकार बोर्ड को निम्नवत् पुनर्गठित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अध्यक्ष — श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. सचिव — प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सदस्य — प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. पदेन सदस्य — श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड /उनकी अनुपस्थिति में विभागीय वरिष्ठतम अधिकारी।
5. उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (02 व्यक्ति) —
  1. श्री पंकज गुप्ता, पुत्र श्री आर.के. गुप्ता, निवासी मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड। मो.नं.— 9412050047
  2. श्री विकास जिन्दल, पुत्र श्री शिव कुमार जिन्दल, जिन्दल रिसर्च लैब. प्रा.लि., काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड। मो.नं.— 9837048283
6. संविदाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (02 व्यक्ति) —
  1. श्री बी.एस.रावत, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल।
  2. श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (02 व्यक्ति) —
  1. श्री अनिल कुमार राही, पुत्र श्री जबर सिंह, गोबिन्दपुरी हरिद्वार, उत्तराखण्ड। मो.नं.— 9456166819
  2. श्री रमेश चन्द्र जोशी, तल्ली बमोरी मुखानी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड। मो.नं.— 94109079
8. किसी अन्य हित का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (01 व्यक्ति) —
  1. श्री पुरुषोत्तम दत्त कण्डवाल, एडवोकेट, ई-02, 210 MDDA, पो.ओ. डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड। मो.नं.— 9412989122

2. उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 2003 के नियम 4 के अनुसार उक्त बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 01 वर्ष क्रमांक— 2 एवं 3 पर अंकित सरकारी सदस्य श्री राज्यपाल की स्वेच्छा पर्यन्त पदधारण करेंगे तथा क्रमांक 4 से 8 पर अंकित सदस्य एक वर्ष के लिए, किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि जहां किसी सदस्य का उत्तराधिकारी उक्त

एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के दिनांक को अथवा उसके पूर्व गजट में अधिसूचित न किया जाय तो वह सदस्य अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी उस समय तक जबकि उनका उत्तराधिकारी गजट में अधिसूचित न कर दिया जायें, पदधारण करेगा।

(हरबंस सिंह चुघ)  
प्रभारी सचिव।


833/19

संख्या :- (1)/VIII/18-150(श्रम)/2001, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड, उत्तराखण्ड।
2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।
3. राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड के समस्त सदस्यगण।
4. निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये इसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(जी.एन.पन्त)  
उप सचिव।